प्रवाह

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

विचार की आजादी के बिना ज्ञान और अभिव्यक्ति की आजादी के बिना सार्वजनिक स्वतंत्रता जैसी कोई चीज नहीं हो सकती है।
-बेंजामिन फ्रेंकलिन

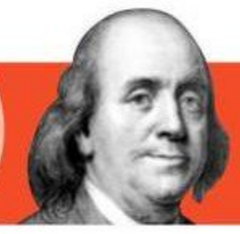

अमेरिकी लेखक

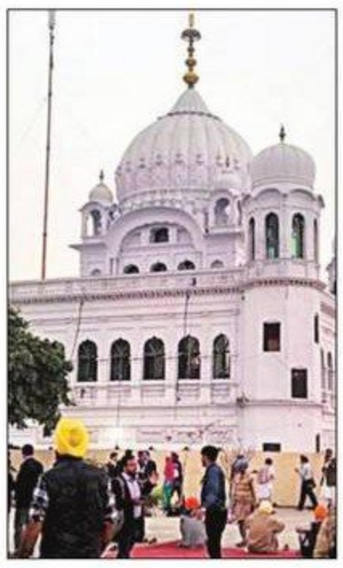

करतारपुर गलियारे की अधिकांश बाधाएं दूर कर पाकिस्तान ने सकारात्मक रुख दिखाया है, इसके बावजूद भारत को सतर्क रहना होगा, ताकि इसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए न किया जा सके।

अमन का गलियारा

गुरदासपुर स्थित डेरा बाबा नानक से गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर तक प्रस्तावित गलियारे को लेकर दूसरे दौर की बातचीत में भारत की तकरीबन सभी प्रमुख मांगें मानकर पाकिस्तान ने सकारात्मक रुख दिखाया है। दरअसल इसी वर्ष नवंबर में गुरुनानक देव का 550 वां प्रकाश पर्व है और भारत चाहता है कि उससे पहले यह गलियारा तैयार हो जाए, ताकि गुरुद्वारा साहिब करतारपुर में मत्था टेकने की लाखों श्रद्धालुओं की मुराद पूरी हो सके। सरहद के एकदम नजदीक होने के बावजूद श्रद्धालुओं को वहां जाने के लिए न केवल वीजा और पासपोर्ट की औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं, बल्कि लंबा सफर भी तय करना पड़ता है। चूंकि इस गलियारे को अंतरराष्ट्रीय सीमा से होकर गुजरना है, लिहाजा इस बात का ध्यान रखा जाना जरूरी है कि इसकी वजह से देश की सुरक्षा को किसी तरह का खतरा न हो। भारत ने इससे पहले दोनों देशों के प्रतिनिधियों की अप्रैल में प्रस्तावित बैठक सिर्फ इसलिए रद्द की थी, क्योंकि पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल में बब्बर खालसा जैसे खालिस्तान समर्थक गुट का गोपाल सिंह चावला भी शामिल था। जबकि रविवार को वाघा सीमा पर हुई बैठक में पाकिस्तान ने भरोसा दिलाया है कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि करतारपुर गलियारे का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए न हो। वह पहले रोजाना पांच सौ से सात सौ श्रद्धालुओं को ही यात्रा की मंजूरी देने पर अड़ा था, लेकिन उसने अब भारत से रोजाना पांच हजार और विशेष अवसरों पर दस हजार श्रद्धालुओं को प्रवेश देने की सहमति दे दी है। यही नहीं, भारतीय पासपोर्ट धारकों के साथ ही ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) बिना वीजा के करतारपुर जा सकेंगे। इसके साथ ही वह इस गलियारे के समानांतर बहने वाली रावी नदी पर पुल बनाने को भी तैयार हो गया। भारत ने पहले ही इस पर काम शुरू कर दिया है और उसके हिस्से का अधिकांश काम पूरा भी हो चुका है। इसी वर्ष फरवरी में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले के बाद से दोनों देशों के रिश्ते न्यूनतम स्तर पर आ गए थे, ऐसे में करतारपुर गलियारे के बहाने ही सही, तल्खी दूर करने में मदद मिलेगी। फिर भी भारत को सतर्क रहना होगा ताकि इसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए न हो और यह अमन का गलियारा बना रहे।

कर्नाटक में सबके लिए सबक

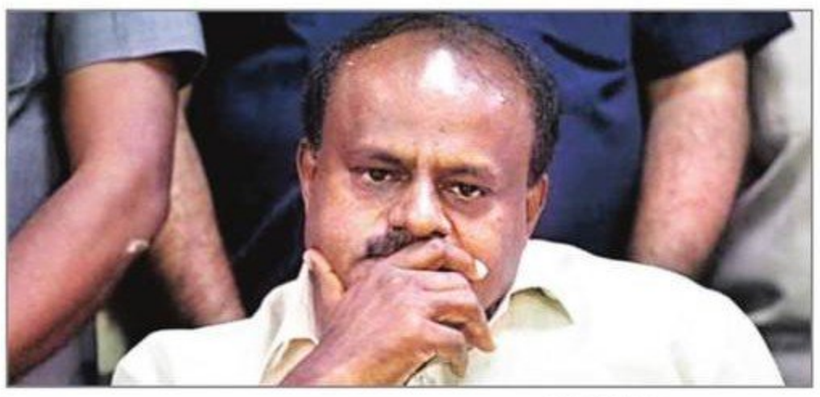

कर्नाटक विधानसभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट में एच डी कुमारस्वामी की सरकार बच भी सकती है और नहीं भी बच सकती है। स्पीकर ने मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करने का मौका दिया है। वह आगामी 18 जुलाई को सदन में बहुमत साबित करेंगे। सोमवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने स्पीकर के साथ मुलाकात की थी, जिसके बाद स्पीकर ने यह फैसला लिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस-जनता दल सेक्यूलर (जेडीएस), कांग्रेस के आलाकमान और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए कई सबक हैं।

गठबंधन धर्म के नियमों को सीखने में कभी देर नहीं होती, इन्हें कभी भी सीखा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस और जेडीएस नेतृत्व ने हरसंभव तरीके से 2018 के विधानसभा चुनाव का मजाक बना दिया। कर्नाटक में कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टी केरल से कुछ सीख क्यों नहीं ले सकी, जहां देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पिछले पांच दशकों से गठबंधन सरकार का हिस्सा रही है? 23 मई, 2019 को आए लोकसभा चुनाव के नतीजे में कांग्रेस के बदतर प्रदर्शन के बाद भी कुमारस्वामी, सिद्धारमैया और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व दीवार पर लिखी इबारत पढ़ पाने और सुधारात्मक कदम उठाने में विफल रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल गांधी अपने इस्तीफे पर अडिग रहे और कांग्रेस के प्रबंधकों ने पार्टी में बिखराव को रोकने के लिए बंगलूरू या पणजी के राजनीतिक हालात पर बहुत कम दिया या बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया।

कांग्रेस के लिए एकमात्र अच्छी बात यह रही कि डी के शिवकुमार और रमेश कुमार जैसे शक्तिशाली क्षेत्रीय नेताओं का उदय हुआ, जिन्होंने राजनीतिक कुशाग्रता के साथ तेजी से काम किया तथा कुमारस्वामी सरकार को बचाने की कोशिश की। स्पीकर रमेश कुमार ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चाहे राज्य के राज्यपाल हों या सुप्रीम कोर्ट के साथ संपर्क हो, वह चट्टान की तरह अडिग खड़े रहे। बेशक रमेश कुमार मणिपुर के बोरोबाबू सिंह की सीमा तक नहीं गए, जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश न मानते हुए अपने लिए अदालती अवमानना की कार्यवाही आमंत्रित कर ली थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस और जेडीएस के उन विद्रोही विधायकों के सामने मुश्किलें जरूर खड़ी कर दी, जो कहां तो इस्तीफा देना चाह रहे थे, और कहां उन पर अयोग्य ठहराए जाने का खतरा मंडरा रहा था। 69 वर्षीय के आर रमेश कुमार फैसले की घड़ी में संविधान का अनुपालन करने के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले 1994-99 में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके रमेश कुमार ने दस विधायकों से मिलने के बाद मीडिया को बताया कि, 'मैं नियमों से नहीं भटक सकता, भले इससे कुछ लोगों को फायदा हो और दूसरों को नहीं हो।' ये सभी विधायक उनसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मिले थे।

बहुत कम लोगों को पता होगा कि हेमंत बिस्व शर्मा की तरह (जिन्हें कड़वे अनुभव के बाद कांग्रेस से भाजपा में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा) रमेश कुमार को भी कांग्रेस आलाकमान के अपमान का सामना करना पड़ा था। कुछ वर्ष पहले वह 24, अकबर रोड, नई दिल्ली आए थे, लेकिन कांग्रेस के तत्कालीन महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने उन्हें इंतजार कराया और धैर्यपूर्वक उनकी बात सुने बिना उन्हें चले जाने के लिए कहा। कर्नाटक के कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि यह एक सराहनीय काम है कि रमेश कुमार फिर भी कांग्रेस के प्रति वफादार बने रहे और हेमंत बिस्व शर्मा की तरह शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व को बदनाम करने तथा पार्टी छोड़ने का तरीका नहीं अपनाया।

डी के शिवकुमार का भी बार-बार कांग्रेस को बचाने का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है। कर्नाटक की राजनीति में 57 वर्षीय शिवकुमार को कोतवाल के रूप में संबोधित किया जाता है। कर्नाटक में कांग्रेस का झंडा उठाए रखने के लिए उन्हें मिले तमाम इनामों के बावजूद, जब शीर्ष पद देने या यहां तक कि उप-मुख्यमंत्री बनाने का वक्त आया, तो उनकी अनदेखी कर दी गई। कर्नाटक का चाहे जो भी फैसला हो, कांग्रेस को शिव कुमार को राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी बनाने पर विचार करना चाहिए।

भाजपा के पास भी कर्नाटक के घटनाक्रम पर विचार करने और काफी कुछ सीखने के लिए है। यदि बीएस येदियुरप्पा कुमारस्वामी की सरकार को पटखनी देने में सफल रहते हैं, तो वैकल्पिक शासन के पास बहुत मामूली बहुमत तो होगा ही, सरकार गिराने के कारण उनकी आलोचना भी होगी। उम्र और छवि भी, जाहिर है, येदियुरप्पा के पक्ष में नहीं है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका विश्लेषण करना चाहिए कि क्या यह वास्तव में भाजपा के लिए मददगार हो सकता है। भाजपा के पास कर्नाटक में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड जैसे उन राज्यों के साथ चुनाव कराने का विकल्प है, जहां, 2019 के लोकसभा चुनावों के नतीजों को देखते हुए, भाजपा स्पष्ट विजेता प्रतीत होती है। एक निर्णायक और प्रत्यक्ष जीत दलबदल या अवैध शिकार के माध्यम से गठित सरकार की तुलना में बेहतर है।

यह सच है कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकारों के दौर में कई गैर-कांग्रेस राज्य सरकारें गिराई गईं। राजीव के गृह मंत्री बूटा सिंह को राजीव की कुल्हाड़ी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा से प्यार था। 1985 से 1989 के बीच उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में इतनी राज्य सरकारें गिराईं कि राजीव को उनसे मजाक में कहना पड़ा, 'बूटा सिंह जी, अब आप कृपाण अंदर रखिए।'

इस तरह की संदिग्ध विरासत और ट्रैक रिकॉर्ड के होते हुए अगर कर्नाटक में कांग्रेस समर्थित सरकार गिर भी जाती है, तो कांग्रेस को इस पर कोहराम मचाने के बजाय आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को भी इस तरह के गैर जिम्मेदार और अलोकतांत्रिक रास्ते पर चलने से उपजी प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखना चाहिए।

कर्नाटक का घटनाक्रम कांग्रेस के लिए अगर आत्मनिरीक्षण का अवसर है, तो भाजपा को भी इस रास्ते पर चलने से उपजी प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखना चाहिए।

रशीद किदवई, वरिष्ठ पत्रकार

अंतर्ध्वनि

>> फिक्र तौंसवी

'गरीब' रियासत से सियासत तक सबसे बिकाऊ जुमला रहा है

आप सब जानते हैं कि आग क्यों ईजाद हुई। इंसान इतना बुद्धु न था कि आग ईजाद करता और खाना न पकाता, पानी गरम न करता, बदन न सेंकता, कपड़े न सुखाता, लेकिन बाद में न जाने इंसान को क्या हुआ कि अचानक बुद्धु बन गया और उससे पड़ोसी के घर को आग लगाने लगा। दुश्मन की फसल जलाकर राख कर दी, मिट्टी का तेल बदन पर डालकर अपने को आग लगा ली और इस मकसद के लिए एक बी जमालो भी पैदा कर दी, जिसका काम फूस में चिंगारी डालकर तमाशा देखना था। एक तरफ हम आग की पूजा करने लगे, तो दूसरी तरफ इसी आग से पूजा सिखाने वाली किताबों की लाइब्रेरियां फूंक डाली। जहां बहार आती है, वहां हम आग लगाने पहुंच जाते हैं और उस आग में हजारों-लाखों इंसानों को उठाकर फेंक देते हैं। रोटियां जिनके लिए सलीबी जंगें लड़ी गईं, हिरोशिमा पर बम फेंका गया, वही रोटियां आज मुझे चांदनी चौक में दिखाई दीं और कौए कांव-कांव करते हुए रोटियों की इस तारीखी लाश पर लालच भरी नजर डाल रहे थे। इन लालचियों को पहचानने में मुझे एक सेकंड भी नहीं लगा। ये सब मैले-कुचैले लोग थे, कौए नहीं इंसान। इनमें कई मजदूर थे, कई भिखारी, कई बीमार बूढ़े थे, मगर ज्यादा तादाद नौजवानों की थी। यही सोलह बरस से तीस बरस की वह उमर, जब इंसान पर बहार आती है, फूल खिलते हैं। वही इंसान एक-एक रोटी के लिए जोर-जोर से चिल्ला रहे थे। 'गरीब' रियासत से लेकर सियासत के दौर में सबसे ज्यादा बिकने वाला जुमला रहा है, जिसे बार-बार दुहराकर न जाने कितने कफन-चोर खुद को गरीब नवाज के तमगों से सजा चुके हैं। लेकिन मेरे लिए किसी गरीब का दुख-दर्द किसी कारोबार या फर्जी नारे लगाने का सामान न था। गरीब और उसका शोषण मेरे सीने से बार-बार चीख बनकर उभरता है।

-उर्दू के मशहूर कवि, नाटककार, पत्रकार।

मंजिलें और भी हैं

>> संदीप कौर

हथियार उठाने वालों के बच्चे जा रहे हैं कॉलेज

उस समय मैं दसवीं में पढ़ रही थी। मेरी उम्र यही कोई 16-17 वर्ष रही होगी। मैंने अपनी मां को बताया कि मैं भी खाड़कू (बब्बर खालसा की आतंकवादी) बनना चाहती हूं। वह बोली कि, पुलिस पकड़कर मारती है, जख्मों में नमक-मिर्च भर देती है। मां की इस बात से डरने के बजाय मैंने रसोई से चाकू लेकर अपने दोनों हाथों की कलाइयों में लंबे और गहरे जख्म कर दिए। जख्मों के अंदर नमक-मिर्च भरकर बोली, लो देखो, मुझे तो इन घावों में न जलन हो रही है, न कोई दर्द। मां को तभी अंदाजा हो गया था कि मैं एक दिन महिला खाड़कू बनूंगी।

एक दिन दोपहर को मैं उनके अड्डे पर जा पहुंची। मुझे वहां देखकर वे हैरान हो गए, उन्हें शक था कि कहीं मैं पुलिस की मुखबिर तो नहीं हूं। उनका हेड बोला कि, खाड़कू किसी अविवाहित लड़की को अपने साथ नहीं रख सकते हैं। इससे पंथ (धर्म) की नजरों में खाड़कुओं की छवि खराब हो जाती थी। इसके कुछ दिन बाद ही मैंने खाड़कू धर्मसिंह से शादी कर ली। तब तक पंजाब सहित देश के कोने-कोने के थाने पंजाब पुलिस ने मेरे फोटो से भर दिए थे। वह 21 जुलाई 1992 का दिन था, मैं अमृतसर में थी, सड़क पर निकली तो देखा, शहर को पुलिस ने छावनी में बदल दिया है। मैं कुछ समझ पाती, उससे पहले ही मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पता चला कि यह सब इंतजाम तो पुलिस ने मेरी गिरफ्तारी के लिए ही किए थे, ताकि मैं किसी भी कीमत पर उस दिन फिर से पुलिस के हाथ से निकल न जाऊं।

जेल में रहने के दौरान ही मैंने सोच लिया था कि, चरमपंथियों के बच्चों को उनके अतीत में डूबने नहीं दूंगी।

जब मैं गिरफ्तार हुई तो देश के मीडिया ने प्रमुखता से मेरे फोटो और नाम को खूब उछाला। गुरदासपुर, पटियाला और अमृतसर जेल प्रशासन ने मुझे ज्यादा समय तक रखने से इनकार कर दिया था। बाद में मुझे संगरूर जेल में रखा गया। संगरूर जेल से ही मैंने इंटरमीडिएट किया। उसके बाद एक साल में ज्ञानी और उसके बाद ग्रेजुएशन का एक साल जेल में ही पूरा किया। जेल में रहने के दौरान ही मुझे पता चला कि मेरे पति मुठभेड़ में मारे गए हैं। मैं वहां चार साल से ज्यादा समय बंद रही, फिर बरी होकर बाहर आई।

जेल से बाहर आने के बाद मेरी सोच की जमीन बदल गई। आतंकवाद की चपेट में आकर पंजाब में अनेक घर उजड़ चुके थे। सैकड़ों बच्चों के सिर से मां-बाप का साया उठ चुका था। बीती जिंदगी में क्या खोया-क्या पाया का गुणा-भाग करके गणित लगाया, तो रिजल्ट 'जीरो' आया। जेल में रहने के दौरान ही मैंने सोच लिया था कि, चरमपंथियों के बच्चों को उनके अतीत में डूबने नहीं दूंगी। उन बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए मैंने एक चैरिटेबल ट्रस्ट खोला। चरमपंथियों के बच्चों को लाकर ट्रस्ट के माध्यम से विभिन्न शिक्षण संस्थानों में दाखिला दिलवाया, और उनकों पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। धीरे-धीरे यहां लगभग 250 लड़कियां भी आ गईं। ये बच्चियां उग्रवाद के दौर में अपने परिवार से बिछड़ गई थीं। ज्यादातर लड़कियों को सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूलों में शिक्षा दिलवाई जा रही है। मुझे यह देखकर संतोष मिलता है कि, कभी इन बच्चों के पिता हथियार उठाए हुए थे, तब ये मासूम यतीम कहलाते थे। अब ये बच्चे डॉक्टर, इंजीनियरिंग, कानून व अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रहे हैं। उम्मीद की एक किरण लिए हुए ये अपने भविष्य को बुनने में लगे हैं।

-विभिन्न साक्षात्कारों पर आधारित।

सूचना के अधिकार कानून का हाल

यह राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव का ही नतीजा है कि इस कानून के अस्तित्व में आने के चौदह साल बाद भी सरकारी कार्यालयों में आसानी से सूचना देने की प्रवृत्ति विकसित नहीं हो पाई है।

मुहम्मद खालिद जीलानी

भ्रष्टाचार पर देशव्यापी वार के बीच केंद्रीय बजट में आरटीआई के मद में बढ़ोतरी के बजाय साढ़े तीन करोड़ रुपये की कटौती की गई। सरकार का यह कदम पारदर्शिता से मुंह चुराने और इस कानून को कमजोर करने जैसा है। पांच वर्षों में कभी कानून में संशोधन करने, तो कभी सूचना प्राप्त करने के शब्दों को सीमित करने की कोशिश कर आरटीआई की धार कुंद करने के प्रयास हुए हैं। यह स्थिति तब है, जब प्रधानमंत्री आरटीआई को सरकार की नीति तक बदलने का हथियार बता चुके हैं।

आरटीआई यानी सूचना का अधिकार कानून देश में अब तक के सबसे लोकप्रिय, कारगर और प्रभावी कानूनों में से एक है। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने वाले जनता के इस हथियार के इस्तेमाल से कई बार सरकारी कार्य प्रणाली की कलई खुल चुकी है। तमाम छोटे-बड़े घोटालों को आम करने में इस कानून की अहम भूमिका रही है। स्वच्छ एवं पारदर्शी लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए सूचना का अधिकार एक ऐसी व्यवस्था है, जो देश में अभी पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई है। सत्ता में बैठे लोगों द्वारा इस कानून को कुंद करने की कोशिश बताती है कि यह उन्हें रास नहीं आ रहा है।

ऐसे में, आम लोगों का हथियार बन चुके इस कानून के मूल स्वरूप को बचाए रखना और लोगों में इस कानून के इस्तेमाल की बेहतर समझ बनाना एक बड़ी चुनौती है। दरअसल हमारा मौजूदा शासन और प्रशासनिक ढांचा औपनिवेशिक कानून की नींव पर खड़ा है, जिसमें नागरिक कानून की सारी समझ गोपनीयता कानून से छनकर आती थी। चूंकि यह कानून नागरिक साझेदारी को मजबूती देता है, इसलिए इसे सरकारी कामकाज का विरोधी साबित किया जाता है। बेशक सिविल सोसाइटी और जन दबाव के तहत इस कानून को वजूद में लाया गया, पर जब इसका असर सरकारों की जवाबदेही तय करने लगा, तो इसे नियंत्रित करने के तरीके खोजे जाने लगे। इस कानून ने जनता को एक ऐसा औजार थमा दिया, जिसके जरिये वह सत्ता तंत्र में पसरे भ्रष्टाचार को उजागर कर सकती है और भ्रष्ट राजनेताओं को बेनकाब कर सकती है। भ्रष्टाचार का दायरा केवल सरकारों तक सीमित नहीं है, विपक्षी नेताओं पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं।

राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव का ही नतीजा है कि इस कानून के अस्तित्व में आने के चौदह साल बाद भी सरकारी कार्यालयों में आसानी से सूचना देने की प्रवृत्ति विकसित नहीं हो पाई है। कहीं आवेदन लंबित हैं, तो कहीं आधी-अधूरी सूचनाएं दी जाती हैं। राज्य सूचना आयोगों में अपीलों की तादाद लगातार बढ़ रही है। इस मामले में उत्तर प्रदेश की स्थिति तो बहुत खराब है। यहां राज्य सूचना आयोग में पचास हजार मामले लंबित हैं। न तो सूचना देने में तीस दिन की समयसीमा का पालन किया जा रहा है और न ही देरी का कारण बताया जा रहा है।

सूचना के अधिकार कानून के अमल में अगर ऐसी ही उदासीनता जारी रही, तो यह कानून निष्प्रभावी हो जाएगा और अभी घपलों-घोटालों से संबंधित जो जानकारियां मिल रही हैं, वे नहीं मिलेंगी। सरकार की प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कानून के जरिये प्रशासनिक पारदर्शिता का लाभ उठा सकें। लिहाजा सूचना देने में हीला-हवाली करने पर सख्त दंड देने की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार का इरादा अगर साफ है, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने में उसे गुरेज नहीं करना चाहिए।

खुली खिड़की

विदेशी छात्रों के पसंदीदा विषय

बड़ी संख्या में विदेशी छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए देश में आते हैं। यह विभिन्न संस्थानों में प्रवेश लेकर अपनी शिक्षा पूरी करते हैं। वर्ष 2016-17 के आंकड़ों के मुताबिक देश में पढ़ने वाले विदेशी छात्र ज्यादातर आर्ट विषय में प्रवेश लेते हैं।

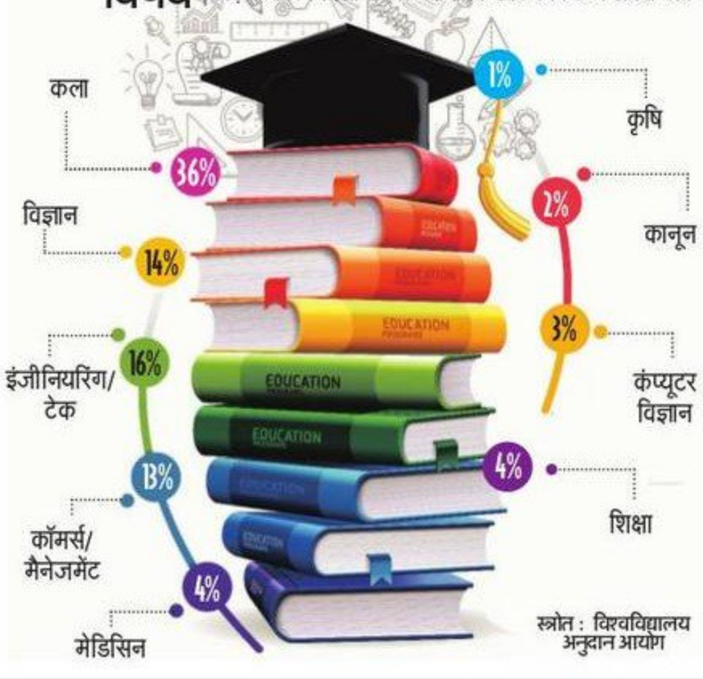

स्रोत : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

पहले सुपात्र बनो

एक सेठ भगवान बुद्ध के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, मैं आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना का प्रयास करता हूं, पर मेरा मन ध्यान में एकाग्र नहीं हो पाता। बुद्ध ने कहा, मैं कल तुम्हारे घर आ रहा हूं। वहीं ज्ञान प्राप्ति का सरल साधन बताऊंगा। सेठ यह सुन गद्गद हो उठा। घर पहुंचते ही उसने पत्नी को कहा, स्वादिष्ट खीर बनाओ। यह हमारा परम सौभाग्य है कि तथागत हमारे घर पर आ रहे हैं। अगले दिन भगवान बुद्ध हाथ में कमंडल लिए सेठ के यहां जा पहुंचे। पूरे परिवार ने उनका स्वागत किया। कुछ देर बाद सेठ की पत्नी सोने की थाली में खीर परोस कर ले आई। सेठ ने हाथ जोड़कर तथागत से खीर ग्रहण करने की प्रार्थना की। तथागत ने सेठ के सामने कमंडल देकर कहा, खीर इसमें डाल दो। सेठ ने देखा कि कमंडल गोबर से भरा हुआ है। यह देख वह सकपका गया तथा बोला, भगवन, गोबर भरे कमंडल में खीर डालने से तो खीर खराब हो जाएगी। तथागत बोले, वत्स, तुम ठीक कहते हो। सबसे पहले पात्रता विकसित करो, तभी तो आत्मज्ञान के योग्य बन पाओगे। यदि मन-मस्तिष्क में विकार तथा कुसंस्कार भरे हैं, तो वे आत्मज्ञान को आत्मसात कैसे कर पाएंगे? सेठ ने उसी समय संकल्प ले लिया कि वह शुद्ध आचरण तथा परोपकार के द्वारा अपने को ऐसा सुपात्र बनाने का प्रयास करेगा कि उसे आत्मज्ञान सहजता से प्राप्त हो सके।

सत्संग

-संकलित

हरियाली और रास्ता

राधा, दादी और कल्पना

राधा की कहानी, जो कल्पना से मुलाकात के बाद अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति और भी समर्पित हो गई।

राधा स्कूल से लौटी, तो बदली-बदली नजर आ रही थी। मां ने पूछा, आज इतनी खुश क्यों हो? राधा बोली, मां, आज मैं एक लड़की से मिली। उसका नाम कल्पना है। वह स्पेस रिसर्चर है। मां बोली, पर तू कब से स्पेस रिसर्चर बन गई? राधा बोली, मैं भी बन जाऊंगी। मां बोली, सपने देखना बंद कर और जाकर अपना कमरा साफ कर। राधा कमरे में चली गई। दादी मां उनकी बातें सुन रही थीं। उन्होंने राधा से पूछा, तुम किस स्पेस रिसर्चर के बारे में बता रही थी? राधा बोली, दादी, वह बिल्कुल मेरी जैसी है। वह भी अपने घर में सबकी लाडली है। उसे जब किसी प्रतियोगिता के बारे में पता चलता था, तो वह भी मेरी तरह उसी के बारे में सोचती रहती थी। वह विज्ञान में जो कुछ भी क्लास में पढ़ा करती थी, घर आकर उसका नमूना बनाकर समझने की कोशिश किया करती थी। और जिद्दी तो वह इतनी है कि एक बार जो मन में ठान लिया, उसे करके ही मानती है। दादी ने कहा, पर बेटा, यह तो आजकल की हर लड़की करती है। फिर तुम्हें कैसे पता कि वह एकदम तुम्हारी तरह है? राधा बोली, दादी, याद है, एक बार क्लास में टीचर ने पूछा था कि पता नहीं, आजकल के रिसर्चर इतनी रिसर्च क्यों करते चले जा रहे हैं। दादी बोलीं, अच्छी तरह याद है। तुमने उसका जवाब भी तो दिया था, और फिर तुम्हें तीन दिन तक क्लास से बाहर निकाल दिया गया था। राधा बोली, आज मैंने वही सवाल कल्पना से किया। उसने ठीक वही जवाब दिया, जो मैंने उस दिन दिया था। कल्पना ने कहा, क्योंकि हम कर सकते हैं। एक यही तो चीज है, जो हमारे हाथ में है। जो कोशिश करते हैं, वही जिंदगी में कुछ नया हासिल कर पाते हैं। दादी बोलीं, राधा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है।

जरूरी नहीं कि कोई तारीफ करे, तभी आप सफल हैं। खुद पर विश्वास होना चाहिए।